UPPG010044402026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
<u>पीठासीन अधिकारी–(राजीव कमल पाण्डेय), (एच. जे. एस.)</u>
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1761/2026

1. एनुल उम्र 27 वर्ष
2. तुफैल उम्र 40 वर्ष पुत्रगण मच्छु उर्फ युसुफ अली
निवासी ग्राम जलालपुरधई थाना गदागंज जनपद रायबरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

राज्य उ०प्र०। ... ...विपक्षी।

अपराध संख्या–289/2025
धारा–305(ए),3(5),61(2),317(2),
307 भारतीय न्याय संहिता
थाना–मानिकपुर, **जिला**– प्रतापगढ़।

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण **1. एनुल 2. तुफैल** की तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के प्रावधान के अन्तर्गत अपराध संख्या 289/2025 की धारा 305(ए),3(5),61(2),317(2),307 भारतीय न्याय संहिता थाना–मानिकपुर, जिला–प्रतापगढ़ के केस में उसे जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी /अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे असत्य कथनों के आधार पर हैरान व परेशान करने के लिए झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है उसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नामजद नहीं हैं। उपरोक्त अपराध में एक ही घर के चार लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, सभी चारो सगे भाई हैं। इस प्रकार एक ही घर के सभी भाईयों का एक साथ चोरी करने जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है ओर न ही प्रार्थीगण पकड़े गये हैं। जो चोरी का सामान दिखाया गया है वह कामन आर्टिकल है, सभी घरों में पाया जाता है। प्रकरण से सम्बन्धित सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।

4. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, थाने की आख्या आदि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध घटना के अगले दिन ही प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात चोरों द्वारा भय दिखाकर लोहे का बक्शा ले जाने का कथन नहीं किया गया है, जबकि बाद में दौरान विवेचना साक्षीगण द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा घातक हथियार से डराकर प्रश्नगत बक्शा ले

Digitally signed by Rajiv Kamal Pandey
Date: 2026.06.18 12:04:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाने की बात कही गई है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर सह अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के बाद उनके संस्वीकृत कथन के आधार पर प्रकाश में आना बताया गया है। कथित तौर पर लोहे के बक्शे में रखे जेवरात आदि की फर्द बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। पूर्व में प्रकरण से सम्बन्धित सह अभियुक्तगण रेहान व तस्लीम की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 11.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति एवं उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण **1. एनुल 2. तुफैल** की तरफ से अपराध संख्या–289/2025 की धारा 305(ए),3(5),61(2),317(2),307 भारतीय न्याय संहिता थाना–मानिकपुर, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1761/2026 निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1. अभियुक्त विवेचना एवं विचारण में सहयोग करेगा तथा दौरान विचारण उपस्थित साक्षीगण से प्रति परीक्षा हेतु अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं लेगा।
2. अभियुक्त विवेचना एवं विचारण के दौरान मामले से सम्बन्धित किसी साक्षी को डर, धमकी या प्रलोभन के द्वारा प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त आरोप विरचन एवं बयान अभियुक्त के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

प्रार्थी/अभियुक्तगण एनुल व तुफैल, प्रत्येक के द्वारा मु० 50,000/– (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें बाद सत्यापन जमानत पर मुक्त किया जाय।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल पत्रावली के साथ संलग्न किये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़ को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e–prison software
में करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

दिनांक–18.06.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।
आई 0 डी0 नं0– यू0 पी0–2020